इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 16 | अंक संख्या 11 | जून, 2024 | पृष्ठों की संख्या - 09

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....3
विनियामक के कथन.....3
बीमा.....4
नयी नियुक्तियाँ.....5
आर्थिक संवेष्टन.....5
विदेशी मुद्रा.....6
शब्दावली.....6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....7
संस्थान समाचार.....7
नयी पहलकदमी.....8
बाजार की खबरें.....8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति की खास बातें (5-7 जून, 2024)

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 5-7 जून, 2024 को आयोजित की गई थी। इसकी खास बातें नीचे दी गई हैं:

- रेपो दर 6.5% बनी रहेगी।
- स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25% तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर व बैंक दर 6.75% बनी रहेगी।
- मुद्रास्फीति नीचे लाने हेतु राहतों को वापस लेने पर ध्यान दिया जा रहा है।
- वित्त वर्ष 25 हेतु विकास पूर्वानुमान 7% से बढ़ा कर 7.2% कर दिया गया है।
- वित्त वर्ष 25 हेतु मुद्रास्फीति 4.5% बने रहने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष 25 हेतु चालू खाता घाटा संतोषजनक स्तर के पर्याप्त नीचे बने रहने की आशा है।
- थोक जमा राशि की न्यूनतम सीमा 2 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 3 करोड़ रुपए करना प्रस्तावित है।
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत निर्यात तथा आयात विनियमों का विवेकीकरण किया जाएगा।
- भुगतान में धोखाधड़ी जोखिम कम करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा।
- फास्टैग, एनसीएमसी, तथा यूपीआई-लाइट में राशि की स्वत: पूर्ति ई-अधिदेश ढांचे के तहत लाई गई है।

विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता, ग्राहक सुविधा बढ़ाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन कदम उठाए हैं

विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता, ग्राहक सुविधा बढ़ाने हेतु अपनी कोशिशें जारी रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो हैं प्रवाह पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप तथा फिनटेक रिपॉजिटरी। प्रवाह पोर्टल एक व्यक्ति या संस्था को विभिन्न विनियामक अनुमोदनों हेतु ऑनलाइन, आसानी से आवेदन करने में सहायता करेगा। इससे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामक अनुमोदन तथा अनुमति देने में गति भी आएगी। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप निवेशकों की रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म तक पहुँच को सुगम करेगा तथा सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन करना आसान बनाएगा। फिनटेक रिपॉजिटरी में भारतीय फिनटेक क्षेत्र पर जानकारी का भंडार होगा जिससे विनियामकीय परिप्रेक्ष्य में इस क्षेत्र की बेहतर समझ हासिल करने में सहायता हो और इस प्रकार उपयुक्त नीतिगत दृष्टिकोण निर्मित करना आसान हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनिवासियों को डेरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन खाते खोलने की अनुमति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब अनिवासियों को डेरिवेटिव संविदाओं हेतु मार्जिन धनराशि एकत्र करने के लिए विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपए दोनों में अधिकृत डीलरों के जरिए खाते खोलने की अनुमति दे दी है। आशा है कि इस कदम से, अनुमत डेरिवेटिव संविदाओं में अनिवासियों की भागीदारी हेतु मार्जिन दायित्वों तथा संबद्ध निधियों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। इस समय भारतीय रिज़र्व बैंक ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार व ब्याज दर फ्यूचर्स जैसे ब्याज दर डेरिवेटिव की अनुमति देता है। यह विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव जिसमें विदेशी मुद्रा फारवर्ड्स, करेंसी स्वैप तथा करेंसी ऑप्शन शामिल हैं, की भी अनुमति देता है। इक्विटी क्षेत्र में अनुमत डेरिवेटिव संविदाओं में वायदा संविदाएँ, फ्यूचर्स संविदाएँ, ऑप्शन संविदाएँ तथा स्वैप संविदाएँ शामिल हैं।

गिफ्ट सिटी स्थित एफपीआई निवेशकों को पी – नोट जारी कर सकेंगे

गिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) स्थित सेबी-पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) अब ऑफशोर डेरिवेटिव लिखतें (ओडीआई) जो पार्टीसिपेटरी नोट (पी–नोट) के नाम से प्रचलित हैं, जारी कर सकते हैं। अब तक पी–नोट जारी करने की अनुमति केवल बैंकिंग संस्थाओं को थी। तथापि, अब गिफ्ट-आईएफएससी में, आईएफएससीए-पंजीकृत गैर–बैंक संस्थाओं

जो सेबी के यहाँ यथा एफपीआईपंजीकृत हों, को भी भारतीय प्रतिभूतियों को अंतर्निहित रख, डेरिवेटिव लिखतें जारी करने की अनुमति दे दी गई है।

सेबी का आदेश- पीएमएस वितरकों का एपीएमआई में पंजीकरण होना अनिवार्य

वित्तीय क्षेत्र में परिचालनों में व्यवस्था लाने हेतु, सेबी ने पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा (पीएमएस) प्रदाताओं के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वे असोसियेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया (एपीएमआई) के यहाँ अपना पंजीकरण करा लें। उम्मीद है इस कदम से कारोबार करना अधिक सुगम होगा तथा पोर्टफोलिओ प्रबंधकों के बीच व्यवसाय में पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। नए निदेश 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। वितरकों के पंजीकरण हेतु मानदंड, एपीएमआई द्वारा 1 जुलाई 2024 तक जारी कर दिए जाएंगे।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक का निदेश – बैंक पूंजी बाज़ार को अपना एक्सपोजर सीमित रखें

भारतीय रिजर्व बैंक का नवीनतम परिपत्र-'पूंजी बाज़ार को बैंकों का एक्सपोजर-अप्रतिसंहरणीय भुगतान प्रतिबद्धताएँ (आईपीसी) जारी करना' से विशिष्ट रूप से संबंधित है। स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा इक्विटी हेतु रोलिंग समाधान T+2 से T+1 कर समाधान चक्र में परिवर्तन किए जाने के उत्तर में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को पूंजी बाजार में उनके एक्सपोजर को लेकर निदेश जारी किए हैं। बैंकों द्वारा आईपीसी जारी करने पर मौजूदा दिशानिर्देशों की बाद में समीक्षा की गई है ताकि इनका नए समाधान चक्र के अनुरूप होना सुनिश्चित किया जा सके। आईपीसी जारी करने वाले अभिरक्षक बैंक ग्राहकों के साथ अपने करार में एक क्लॉज अवश्य शामिल करेंगे जिसमें किसी समाधान में भुगतान स्वरूप मिलने वाली प्रतिभूतियों पर बैंकों को अहस्तांतरणीय अधिकार दिया गया होगा। तथापि पहले से निधि प्राप्त संव्यहारों जिनमें ग्राहक के खाते में निर्बंध भारतीय रुपया निधियाँ उपलब्ध हैं अथवा जहां आईपीसी जारी करने से पूर्व बैंक का नोस्त्रो खाता क्रेडिट किया गया है, के लिए यह क्लॉज अनिवार्य नहीं है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

एकल प्राथमिक डीलर अब विदेशी मुद्रा में उधार ले सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एकल प्राथमिक डीलरों (Standalone Primary Dealers) को उनकी स्वामी कंपनियों तथा इनके द्वारा अधिकृत निकायों से विदेशी मुद्रा में उधार लेने की अनुमति दे दी है। उन्हें केवल परिचालनात्मक उपयोग हेतु नोस्त्रो खातों में अधिविकर्ष लेने की अनुमति भी दी गई है। उधार विदेशी मुद्रा हेतु निर्धारित सीमाओं के अनुरूप ही होना चाहिए। अतिरिक्त अधिविकर्ष जिसे पाँच दिनों के भीतर समायोजित न किया गया हो, भारतीय रिज़र्व बैंक को अवश्य रिपोर्ट किए जाने चाहिए। यह रिपोर्टिंग उस माह जिसमें सीमाओं को पार किया गया हो, के आखिर से 15 दिनों के भीतर हो जानी चाहिए। यदि वैल्यु डेटिंग हेतु व्यवस्था मौजूद है तो रिपोर्टिंग जरूरी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एसपीडी को भी जोखिम प्रबंधन एवं अंतर-बैंक संव्यवहार हेतु मानकों के दायरे में शामिल किया है। परिणामत:, एफपीआई सहित ग्राहकों को विदेशी मुद्रा उत्पाद की पेशकश करने हेतु एसपीडी को 2018 से अधिकृत किया गया है। एसपीडी यथा अधिकृत डीलर श्रेणी-III वर्गीकृत किए गए हैं।

विनियामक के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे का एनबीएफसी (NBFC) को संदेश: जोखिम न्यून करने हेतु बीमा कार्य में अभिशासन, अश्योरेंस पक्ष मजबूत करें

100 से अधिक एनबीएफसी के बीमा फंक्शन के प्रमुखों के सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे ने उन अनेक जोखिमों पर प्रकाश डाला जिनका सामना एनबीएफसी को आज के गतिशील व चुनौतीपूर्ण वातावरण में करना होता है। ऐसी समस्याएँ एनबीएफसी की वित्तीय एवं परिचालनात्मक दृढ़ता पर असर न डालें, इस लिहाज से उप गवर्नर ने एनबीएफसी

को कहा कि वे अपने अभिशासन तथा अश्योरेंस पक्ष को मजबूत करें एवं संभावित जोखिमों व कमजोरियों के प्रति निरंतर सतर्क बने रहें। उन्होंने एनबीएफसी से भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी अपेक्षाओं की भी जानकारी दी। शीर्ष बैंक चाहता है कि एनबीएफसी ग्राहकों के साथ उचित एवं पारदर्शी व्यवहार रखते हुए, अश्योरेंस कार्य की स्वतंत्रता एवं अर्थवत्ता सुनिश्चित करें। उन्होंने अन्य पक्ष पर निर्भरताओं, ग्राहक आचरण तथा परिचालनों में पारदर्शिता जैसे संदर्भात्मक मामलों में अश्योरेंस कार्य (अर्थात मुख्य अनुपालन अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख) की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

शहरी सहकारी बैंकों को उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे का संदेश: पारंपरिक एवं उभरते जोखिमों की पहचान कर उनका प्रबंधन करें

चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों के अश्योरेंस कार्य प्रमुखों के सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे ने शीर्ष बैंक की पर्यवेक्षी अपेक्षाओं को बताया और माना की कारगर अश्योरेंस पक्ष बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य की सुरक्षा करने में तथा ग्राहकों एवं अन्य हितधारकों का भरोसा कायम रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने पारंपरिक जोखिमों के बदलते स्वरूप का सामना करते हुए उभरते जोखिमों की पहचान व इनके प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को निरंतर अद्यतन व सुदृढ़ करते रहना जरूरी है। उप गवर्नर ने आगे ज़ोर देकर कहा कि, शहरी सहकारी बैंकों में पाई गई खराब अभिशासन प्रथाओं के प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय क्षेत्र में अपने समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति कड़ाई से लागू करेगा।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ बेहतर अभिशासन अपनाएं: भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम राजेश्वर राव ने ऋण जीवन चक्र में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की भूमिका पर प्रकाश डाला। ऋण जीवन चक्र में चार चरण होते हैं, जो हैं- ऋण प्रस्ताव की सोर्सिंग, मूल्यांकन तथा हामीदारी, संवितरण एवं निगरानी, तथा अंत में चुकौती जिसके बाद तब ऋण चक्र का दुहराव शुरू होता है। यदि एक ऋणी बकायों का समय पर भुगतान नहीं करता तथा ऋण चौथे चरण में प्रवेश नहीं करता तो समस्या हो सकती है। एआरसी इस मुकाम पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु स्थापित किए गए हैं। इस प्रक्रिया हेतु एआरसी कितने उपयोगी हैं, इस पर विचार करते हुए श्री राव ने एआरसी में विनियमों की भूमिका बताई। उन्होंने कहा की सबसे पहले, आस्ति पुनर्निर्माण कारोबार करने हेतु एआरसी के पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। द्वितीयत:, संव्यवहार पारदर्शी तरीके से ही तथा आर्म्स लेंथ आधार पर हों। तीसरे एआरसी द्वारा आस्ति समाधान का तरीका स्पष्टत: निर्धारित होना चाहिए। श्री राव ने उन स्थितियों को भी बताया जो अभिशासन की मजबूत बुनियाद के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनमें निम्न शामिल हैं:

i. कारगर निगरानी रखने वाला विविधतापूर्ण व स्वतंत्र बोर्ड

ii. दबावग्रस्त आस्तियों के पोर्टफोलिओ में अंतर्निहित जोखिमों की पहचान, आकलन तथा न्यूनीकरण हेतु मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा

iii. परिचालनों, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं,लेखा प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रकट करने में पारदर्शिता हितों के टकराव की उचित व पारदर्शी तरीके से पहचान, प्रकटन तथा प्रबंधन करने हेतु प्रभावी रक्षा उपाय व सुदृढ़ नीतियाँ।

बीमा

बीमाकर्ताओं को आइआरडीएआई (IRDAI) का निर्देश: स्वास्थ्य दावों को बिना नकदी भुगतान अधिकृत करने पर 1 घंटे के भीतर निर्णय लें

स्वास्थ्य बीमा पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीएआई) के नवीनतम मास्टर परिपत्र में अधिदेश दिया गया है कि बीमाकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य दावों को बिना नकदी भुगतान अधिकृत करने पर अनुरोध मिलने के 1 घंटे के भीतर निर्णय अवश्य ले लेना चाहिए। पॉलिसीधारकों को सशक्त करने, सर्वोत्तम देखभाल तथा सेवा सुनिश्चित करने और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में

भरोसे व पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर लक्षित, इस अनुदेश में आगे अपेक्षा है कि बीमाकर्ता, डिस्चार्ज प्राधिकृत करने की प्रक्रिया तीन घंटों के भीतर पूरी कर लें, जिससे पॉलिसीधारकों की एक आम समस्या का समाधान हो सकेगा। मास्टर परिपत्र का उद्देश्य 100% नकदरहित दावा निपटान एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने का है। अद्यतन मानदंड उत्पादों की पेशकश में विविधता, विभिन्न आबादी समूहों एवं चिकित्सकीय आवश्यकताओं को पूरा करने को भी प्रोत्साहित करते हैं। इनमें कई पॉलिसियाँ रखने वाले पॉलिसीधारकों को वह पॉलिसी चुनने की छूट है जिसके तहत वे दावा करना चाहते हैं। नए मानदंडों में बीमाकर्ताओं को आवश्यक प्रणालियाँ तुरंत और अधिकतम 31 जुलाई 2024 तक लागू करने को भी कहा गया है।

आइआरडीएआई का अधिदेश: बीमाकर्ता ग्रामीण व सामाजिक क्षेत्र हेतु दायित्वों को पूरा करें

आइआरडीएआई ने मास्टर परिपत्र जारी कर जीवन व गैर-जीवन बीमाकर्ताओं को कारोबार का एक निश्चित प्रतिशत अनिवार्यत: ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र व मोटर अन्य पक्ष हेतु दायित्वों के प्रति करने को कहा है। सभी जीवन बीमाकर्ता निर्दिष्ट एवं आवंटित ग्राम पंचायत में निवासियों के एक न्यूनतम प्रतिशत का बीमा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र दायित्वों को पूरा करने हेतु ग्राम पंचायत निर्दिष्ट करने के लिए, जीवन बीमा परिषद, पंचायत राज मंत्रालय से परामर्श करेगी। इसी प्रकार सामान्य बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को सामान्य बीमा परिषद से परामर्श कर ग्राम पंचायत आवंटित की जाएगी।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री आर लक्ष्मीकांत राव	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अप्रैल 2024 हेतु मासिक आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें निम्न हैं:

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मार्च 2024 के 4.85% से गिर कर अप्रैल 2024 में 4.83% हो गया। विगत 11 माह में यह इसकी न्यूनतम दर है।
- अप्रैल 2024 में जीएसटी संग्रह वर्षानुवर्ष 12.4% बढ़ कर अप्रैल 2024 में 2.1 लाख करोड़ रुपए हो गया।
- वित्त वर्ष 24 में भारत के सेवा निर्यात में 4.8% की वृद्धि हुई।
- वित्त वर्ष 23 के 71.4 बिलियन यूएसडी की तुलना में वित्त वर्ष 24 में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह 71.0 बिलियन यूएसडी रहा।
- वित्त वर्ष 24 में ईपीएफओ पे रोल में वर्षानुवर्ष 6.3% की वृद्धि हुई, वित्त वर्ष 23 में 1.39 करोड़ सदस्य थे जबकि वित्त वर्ष 24 में 1.47 करोड़ सदस्य हो गए।
- 15 वर्ष व इससे अधिक आयु के लोगों हेतु कार्यशुदा पेशेवर अनुपात (डबल्यूपीआर) मार्च 2023 में समाप्त तिमाही में 45.2% था जो बढ़ कर मार्च 2024 में समाप्त तिमाही में 46.9% हो गया।
- ग्रामीण इलाकों में बढ़ती मांग के चलते अप्रैल 2023 की अपेक्षा अप्रैल 2024 में एफएमसीजी क्षेत्र में नियुक्तियों में 11% का उछाल देखा गया।
- अप्रैल 2024 में बाज़ार भागीदारों द्वारा लाभ बुक करने के चलते 1.8 बिलियन यूएसडी के विदेशी पोर्टफोलिओ निवेशों का बहिर्वाह हुआ।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	24 मई 2024 के दिन करोड रुपए	24 मई 2024 के दिन मिलियन अमरीकी डालर	विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में प्रवृत्तियाँ (मिलियन अमरीकी डालर) पिछले 6 माह
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	53,73,798	6,46,673	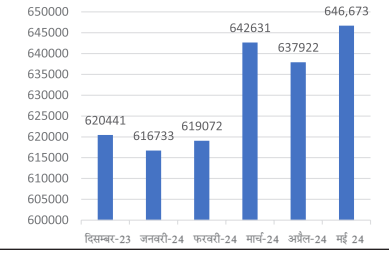
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	47,15,859	5,67,499	
1.2 सोना	4,71,279	56,713	
1.3 विशेष आहरण अधिकार	1,50,703	18,135	
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	35,958	4,326	

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

यथा 31 मई 2024 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें – जून 2024 माह हेतु लागू

मुद्रा	दर
अमरीकी डॉलर	5.33
जीबीपी	5.2
यूरो	3.909
जापानी येन	0.078
कनाडाई डॉलर	5.0200
आस्ट्रेलियाई डॉलर	4.35
स्विस फ्रैंक	1.454613

मुद्रा	दर
न्यूजीलैंड डॉलर	5.5
स्वीडिस क्रोन	3.643
सिंगापुर डॉलर	3.5476
हांगकांग डॉलर	3.78521
म्यांमार रुपया	3.00
डैनिश क्रोन	3.5230

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

नोस्त्रो खाता

नोस्त्रो खाता एक बैंक खाता होता है जिसे बैंक किसी विदेशी बैंक में उस देश जहां निधियाँ रखी गई हैं, की घरेलू मुद्रा में रखता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान तथा विदेशी मुद्रा संव्यवहार हेतु प्रयुक्त होता है। यह खाता मुख्यत: उन बैंकों या बड़े निगमों द्वारा रखा जाता है जो नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संव्यवहार किया करते हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

निवल स्वाधिकृत निधियाँ (Net Owned Funds)

निवल स्वाधिकृत निधियों में चुकता इक्विटी पूंजी, मुक्त आरक्षित निधियों, शेयर प्रीमियम खाते में शेष व पूंजीगत आरक्षित निधियों जो आस्तियों की बिक्री की आगम राशि से मिली अधिशेष राशि हो पर आस्तियों के पुनर्मूल्यन से मिली आरक्षित निधियाँ न हों, का

समावेश होगा। एनओएफ की गणना पिछले लेखा परीक्षित तुलन पत्र के आधार पर की जाती है तथा तुलन पत्र की तारीख के बाद जुटाई गई पूंजी को एनओएफ की गणना हेतु हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

मई 2024 माह के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
संपर्क कक्षाएँ सीएआईआईबी (CAIIB) परीक्षा	8 - 30 जून 2024	प्रौद्योगिकी पर आधारित
अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), धन शोधन निवारण (एएमएल) और वित्तीय आतंकवाद का सामना (सीएफटी) पर कार्यक्रम	10 - 12 जून 2024	
ऋण निगरानी एवं वसूली पर कार्यक्रम	12 - 14 जून 2024	
प्रारम्भिक ऋण एवं ऋण जोखिम प्रबंधन पर नौसिखियों हेतु कार्यक्रम	18 - 20 जून 2024	
बैंकों/वित्तीय संस्थाओं हेतु नैतिकता एवं कॉर्पोरेट अभिशासन पर कार्यक्रम	19 - 20 जून 2024	
प्रारंभिक ऋण मूल्यांकन सहित प्रभावी शाखा प्रबंधन पर कार्यक्रम	24 - 26 जून 2024	

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ द्वारा यूएनईपी–एफआई तथा जीआईजेड के साथ मिल कर बैंकिंग संगोष्ठी का आयोजन

आईआईबीएफ ने यूएनईपी–एफआई (UNEP-FI) तथा जीआईजेड (GIZ) के साथ मिल कर ''Enabling the Climate Transition in India'' पर बैंकिंग संगोष्ठी 10 जून 2024 को ताज महल टावर एंड पैलेस में आयोजित की। इस बैंकिंग संगोष्ठी का उद्देश्य भारत की जलवायु महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने हेतु, वित्तीय संस्थानों के बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका व दायित्वों को गहराई से समझाना था। कार्यक्रम में बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे जिन्होंने आयोजन की सराहना की।

आईआईबीएफ द्वारा बैंकिंग एवं वित्त में उन्नत प्रबंधन पाठ्यक्रम के 13वें बैच (2024-25) की घोषणा

आईआईबीएफ द्वारा बैंकिंग एवं वित्त में उन्नत प्रबंधन पाठ्यक्रम के 13वें बैच (2024-25) की घोषणा की गई है जो जून 2024 में शुरू होगा। 10 माह की अवधि का यह पाठ्यक्रम कार्यशुदा कार्यपालकों हेतु निर्मित है जिसमें बैंकिंग और वित्त के विभिन्न क्षेत्रों का समावेश है। यह एक हाइब्रिड कार्यक्रम है जिसमें सप्ताहांत सत्र ऑनलाइन होंगे तथा मध्य में इमर्शन कार्यक्रम, एमडीपी आईआईएम कलकत्ता के कैंपस और आईआईबीएफ, मुंबई में होगा। इस पाठ्यक्रम हेतु संकाय उद्योग व शिक्षा जगत से विशेषज्ञ होंगे। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

'बैंकिंग प्रौद्योगिकी' में शोध फ़ेलोशिप:2024 की योजना (आईआईबीएफ तथा आईडीआरबीटी की संयुक्त पहल) हेतु आईआईबीएफ द्वारा शोध प्रस्ताव आमंत्रित

संस्थान ने 'बैंकिंग प्रौद्योगिकी' में शोध फ़ेलोशिप:2024 की योजना (आईआईबीएफ तथा आईडीआरबीटी की संयुक्त पहल) हेतु शोध प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। बैंकिंग प्रौद्योगिकी में शोध फ़ेलोशिप का उद्देश्य बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र को महत्वपूर्ण योगदान की संभावना वाले तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकी शोध प्रस्तावों को प्रायोजित करना है। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। ज्यादा विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

प्रमाणित वित्तीय आयोजक प्रमाणन कार्यक्रम हेतु आईआईबीएफ का एफपीएसबी के साथ समझौता

संस्थान ने वित्तीय आयोजना पेशे हेतु वैश्विक मानक निर्धारक निकाय की भारतीय अनुषंगी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित वित्तीय आयोजक

(सीएफपी) प्रमाणन कार्यक्रम की स्वामी एफपीएसबी इंडिया के साथ कार्यनीतिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस महत्वपूर्ण भागीदारी के तहत, आईआईबीएफ से सीएआईआईबी योग्यता पूरी कर चुके तथा बी एसएफआई क्षेत्र में तीन वर्षों का मान्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए सीएफपी प्रमाणन के प्रथम तीन मॉड्यूल उत्तीर्ण करने से छूट होगी तथा वे फास्ट ट्रैक राह से एफपीएसबी इंडिया के समन्वित वित्तीय आयोजना मॉड्यूल में सीधे नामांकन करा सकेंगे। अधिक जानकारी iibf.org.in पर मौजूद है ।

जलवायु जोखिम तथा संधारणीय वित्तपोषण पर आईआईबीएफ व आईएफसी का संयुक्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

संस्थान ने जलवायु जोखिम तथा संधारणीय वित्तपोषण पर प्रमाणन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन के साथ करार किया है। पाठ्यक्रम दो भागों में बंटा है-प्रारंभिक तथा उन्नत। इसका स्वरूप खुद की गति से पूरा किए जाने वाली ई–लर्निंग का है जिसमें प्रत्येक भाग में 60 घंटे की ई-लर्निंग और इसके बाद मूल्यांकन है। सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर आईआईबीएफ व आईएफसी द्वारा संयुक्त प्रमाणपत्र दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी iibf.org.in पर उपलब्ध है।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय

अप्रैल-जून 2024 तिमाही हेतु बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय 'बैंकों में जोखिम प्रबंधन-विनियमों से आगे' रखा गया है।

परीक्षाओं हेतु दिशानिर्देशों/महत्वपूर्ण सूचनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान की प्रथा रही है कि विनियामक (कों) द्वारा जारी हाल के परिवर्तनों/दिशानिर्देशों संबंधी प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाएँ ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से वास्तविक परीक्षा तिथियों तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है।

इन मुद्दों के कारगर समाधान हेतु, यह निर्णय लिया गया है कि:

1. संस्थान द्वारा मार्च 2024 से अगस्त 2024 की अवधि हेतु संचालित परीक्षाओं के मामले में, प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य से केवल 31 दिसंबर 2023 तक विनियामक(कों) द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बैंकिंग व वित्त की महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल की जाएंगी।
2. संस्थान द्वारा सितंबर 2024 से फरवरी 2025 की अवधि हेतु संचालित परीक्षाओं के मामले में, प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य से केवल 30 जून 2024 तक विनियामक(कों) द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बैंकिंग व वित्त की महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल की जाएंगी

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

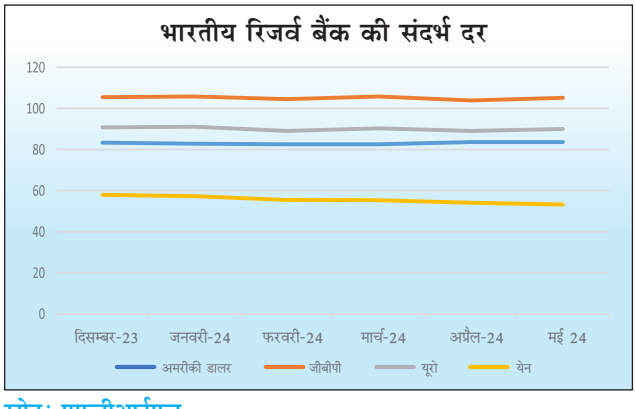

स्रोत: एफबीआईएल

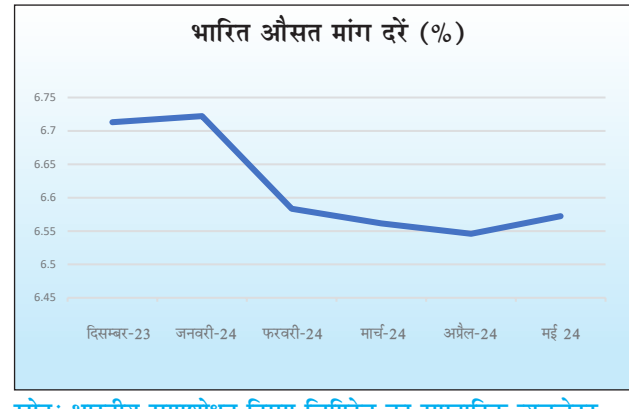

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

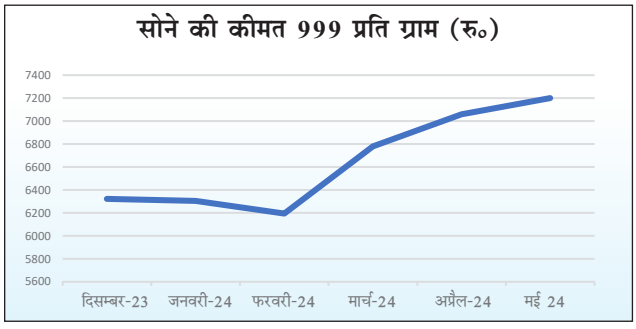

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

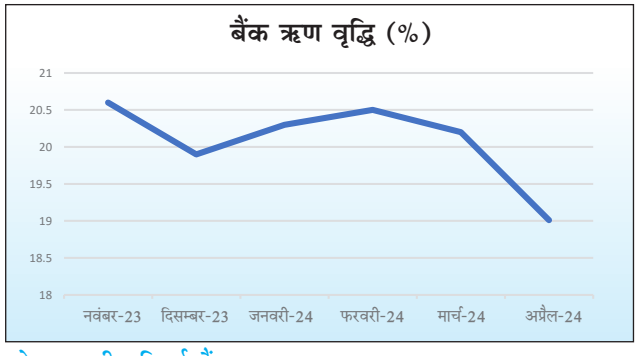

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

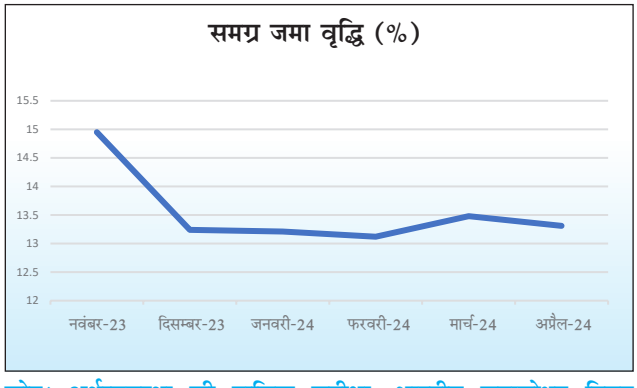

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मई, 2024

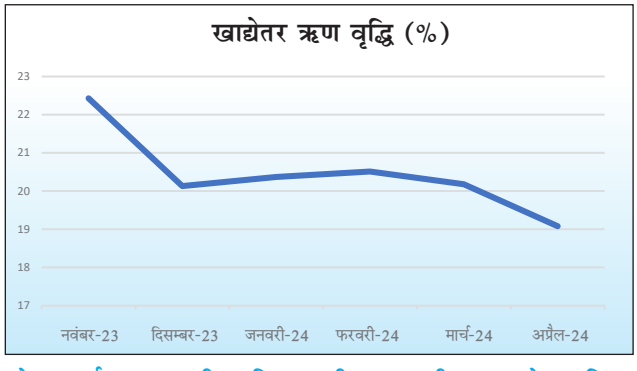

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, मई, 2024

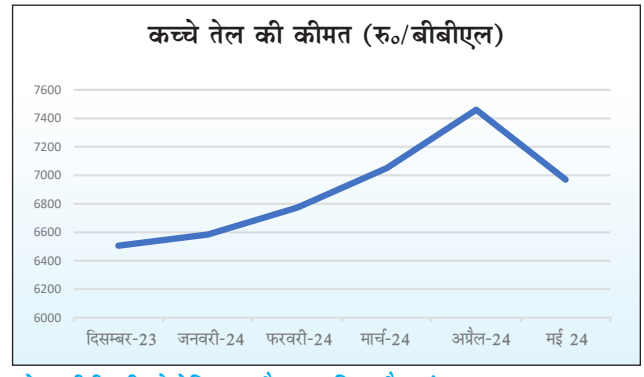

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

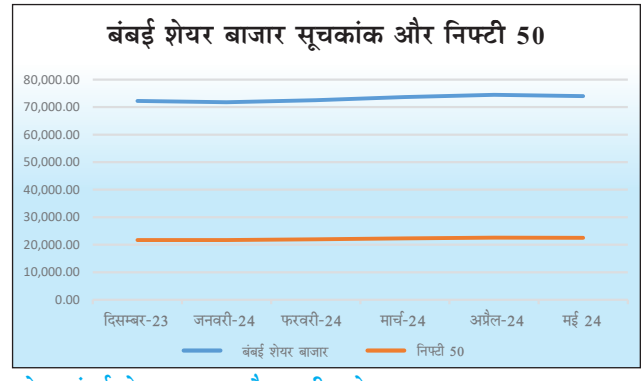

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in